# जनपद शामली पुलिस

## --सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 08.03.2023

**थाना आदर्शमण्डी**

**थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा मोबाइल चोरी के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से चोरी किया हुआ मोबाइल फोन एवं अवैध छुरी बरामदः-**

आज दिनांक 08.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग एवं अपराध की रोकथाम तथा चोरी के अपराधों से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा मोबाइल चोरी के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 मोबाइल फोन व अवैध 01 छुरी बरामद हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 06.03.2022 को वादी श्री हरेन्द्र पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम कसेरवा कला थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली के घर में चारपाई पर रखे मोबाइल फोन को गाँव के ही गुड्डू उर्फ मांगा द्वारा चोरी करने के संबंध में थाना आदर्शमण्डी पर लिखित तहरीर दाखिल की गई थी । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-**

1.गुड्डू उर्फ मांगा पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम कसेरवा कला थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

**आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-**

1.मु0अ0सं0 39/2023 धारा 380,411 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

**बरामदगी का विवरणः-**

1.चोरी किया हुआ मोबाइल फोन (लावा कम्पनी Z 25)

2.अवैध 01 छुरी।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1.उ0नि0 श्री साहब सिंह थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2.का0 अनुज कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

**थाना बाबरी**

**थाना बाबरी पुलिस द्वारा बाबरी क्षेत्रान्तर्गत युवक पर हुए जानलेवा हमले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा बरामदः-**

आज दिनांक 08.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा सूचना पर युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा बरामद हुआ है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 07.03.2023 को श्री प्रवीण पुत्र बीरसेन निवासी ग्राम भिक्का माजरा थाना बाबरी जनपद शामली के भाई संदीप व वादी के साथ नरेन्द्र पुत्र जगमेर व अर्जुन पुत्र नरेन्द्र ने आपसी कहासुनी को लेकर हुए झगड़े में अर्जुन द्वारा जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर घायल करने के संबंध में थाना बाबरी पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-**

1.अर्जुन पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम भिक्का माजरा थाना बाबरी जनपद शामली।

**आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-**

1.मु0अ0स0 24/2023 धारा 307,323, 504 भादवि थाना बाबरी जनपद शामली।

**बरामदगी का विरवणः-**

1.घटना में प्रयुक्त अवैध 01 तमंचा 315 बोर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1.उ0नि0 श्री श्यामवीर सिंह थाना बाबरी जनपद शामली।

2.का0 रोहित पूनिया थाना बाबरी जनपद शामली।

3.का0 योगेश कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

**थाना झिंझाना**

**थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ/शराब तस्कर गिरफ्तार , कब्जे से 11 किलो अवैध डोड़ा पोस्त, 12 बोतल अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का एवं तस्करी में प्रयुक्त फोर्ड फिगो गाड़ी बरामदः-**

आज दिनांक 08.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ/अवैध शराब निर्माण/विक्री/ तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सूचना पर 01 मादक पदार्थ/शराब तस्कर को 11 किलो अवैध डोडा पोस्त, 12 बोतल SEAGRAM'S ROYAL STAG PREMIER WHISKY हरियाणा मार्का एवं तस्करी में प्रयुक्त 01 फोर्ड फिगो गाड़ी नम्बर HR-05AB-7404 सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि बरामद अवैध डोडा व शराब को हरियाणा से लाकर ग्राम केरटू के पास स्थित किराये के ढाबे (हिमाचल पंजाबी ढाबा) पर खाना खाने वाले ट्रक ड्राइवरों को बेचता है।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-**

1.अमनदीप सिंह पुत्र साहब सिंह निवासी संतोक सिंह डेरा गोदा मोड़ खेडी गुलाम थाना सीवन जिला कैथल (हरियाणा)।

**बरामदगी का विवरणः-**

1.अवैध 11 किलो डोडा पोस्त।

2.अवैध 12 बोतल अंग्रेजी शराब सीग्राम्स रॉयल स्टेज व्हिस्की हरियाणा मार्का।

3.तस्करी में प्रयुक्त एक गाडी फोर्ड फिगो गाड़ी नम्बर HR-05AB-7404 रंग सफेद।

**आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-**

1.मु0अ0सं0 40/2013 धारा 147,148,149,323,324,542 भादवि थाना सिवान जनपद कैथल हरियाणा

2.मु0अ0सं0 619/2019 धारा 8/20 NDPS ACT थाना जानसा कुरुक्षेत्र हरियाणा।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1.निरीक्षक श्री अजय कुमार आबकारी प्रवर्तन विंग5 (सहारनपुर)।

2.उ0नि0 श्री राजन पुण्डीर थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का0 सतेन्द्र कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.का0 रवि सोम थाना झिंझाना जनपद शामली।

5.का0 अमर थाना झिंझाना जनपद शामली।

6.है0का0 राजकुमार आबकारी प्रवर्तन विंग5 (सहारनपुर)।

7.का0 नीरज कुमार आबकारी प्रवर्तन विंग5 (सहारनपुर)।